19.5.26

पत्रावली वास्ते मिसल पेश हुई। उक्त वाद
उपरान्त पुकार वादी श्रीमान बिना करवाई हो। विरुद्ध
मिसल अलग से निकालना बाबत शामिल किया
गया। डिक्री जारी हो। नत्थी से बन्द हो।
आदेश सुनाया गया।

GCMS
2024/578

BV
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– भरत जय प्रकाश मीना (आई.ए.एस.)

वाद सख्या :– 285/2024 (जी.सी.एम.एस. नं. 2024/578) **दायरा दिनांक :– 20.09.2024**

1. बलवन्त शर्मा पुत्र श्री खुमाणाराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 07, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. गोविन्द शर्मा पुत्र श्री हरपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 07, गीता भवन रोड़, संगरिया तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हनुमान शर्मा पुत्र श्री खुमाणाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न. 136, न्यू श्याम बिहार एक्सटेशन कैमरी रोड़, नजदीक तीन फुटा रोड़, हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :–

1. शिशपाल शर्मा एडवोकेट (वादीगण)
2. राजवीर भादू एडवोकेट (प्रतिवादी न. 1 व 2)
3. पैरोकार राज प्रतिवादी न. 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 19.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 आरटीए 1955 मे पेश कर निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादी न. 1 व 2 के नाम से सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 9.195 हैक. व खसरा न. 241 में 0.228 हैक. व खसरा न. 243 में 0.398 हैक. व खसरा न. 275 में 2.845 हैक. इस प्रकार कुल 12.666 हैक. बारानी दोयम भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जैरप्रकरण रकबा पूर्व में वादी एंव प्रतिवादी न. 2 की माता व प्रतिवादी न. 1 की दादी गोमती पत्नी खुमाणाराम के नाम से खरीद किया हुआ था तथा वादी एंव प्रतिवादी न. 2 की माता व प्रतिवादी न. 1 की दादी के फौत होने के बाद उक्त रकबा उनके जायज वारिस वादी एंव प्रतिवादी न. 2 व प्रतिवादी न. 1 के पिता हरपाल शर्मा को जरिये विरास्तन इन्तकाल सख्या 792 दिनाक 25.06.2024 से प्राप्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात् प्रतिवादी न. 1 के पिता ने अपने नाम के 1/3 हिस्सा के रकबा को अपने पुत्र प्रतिवादी न. 1 को जरिये दान पत्र दे दिया जो इन्तकाल सख्या 816 दिनाक 22.07.2016 से प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज जमाबन्दी हुआ इस प्रकार जैरप्रकरण रकबा वादी एंव प्रतिवादी न. 1 व 2 के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा में खातेदारी [illegible] होकर हिस्सानुसार ही सभी सहकाश्तकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जैरप्रकरण रकबा में से कुछ रकबा समतल व कुछ रकबा छोटे–बड़े टीलो वाला रकबा है व कुछ रकबा सेमड मिट्टी वाला व कुछ रकबा उपजाऊ है व कुछ रकबा रेतीला है इस प्रकार उक्त रकबा एक समान किस्मा का रकबा नही है व सामान कीमत का रकबा नही है इसलिये वादी अपने हिस्सा के रकबा का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर प्रतिवादीगण से अपना खाता अलग करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज सं. 2 पर

चाहता है व वादी का प्रतिवादीगण से अपने हिस्सा में प्राप्त रकबा का तहसीलदार सूरतगढ़ से अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर खाता विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी हकदार है। वादी एंव प्रतिवादीगण का रकबा साझा खाता में होने की वजह से रकम मामला जमा करवाने में काफी दिक्कत होती है इसलिये जैरप्रकरण रकबा का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर वादी का खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जावे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण व रजिस्ट्रर्ड सम्मंनो से तलब किया गया। वादी एंव प्रतिवादीगण न. 1 व 2 ने 500/— रूप्ये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया व मुताबिक सहमति पत्र वादी एंव प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने पर सहमति प्रदान की गई। वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों का गहनता से अध्यनन किया चुकिः वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा लिखित में सहमति प्रदान की गई है। इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर वादी एंव प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 9.195 हैक. व खसरा न. 241 में 0.228 हैक. व खसरा न. 243 में 0.398 हैक. व खसरा न. 275 में 2.845 हैक. इस प्रकार कुल 12.666 हैक. बारानी दोयम के रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है।

1. वादी (बलवन्त शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :— रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 4.222 हैक. बरानी दोयम (इसी खसरा के उतरी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) भूमि।
2. प्रतिवादी न. 1 (गोविन्द शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :— रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 4.222 हैक. बारानी दोयम (इसी खसरा के मध्य में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, बलवन्त शर्मा के दक्षिणी दिशा में व हनुमान शर्मा के उतरी पासा में) भूमि।
3. प्रतिवादी न. 2 (हनुमान शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :— रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 0.751 हैक. बारानी दोयम (इसी खसरा के दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, गोविन्द शर्मा के दक्षिणी पासा में) व खसरा न. 241 में 0.228 हैक. व खसरा न. 243 में 0.398 हैक. व खसरा न. 275 में 2.845 हैक. कुल 4.222 हैक. बारानी दोयम भूमि।

तहसीलदार सूरतगढ़ को खाता विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद व इसी अनुसार अलग—अलग रकम कायम करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/05/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. बलवन्त शर्मा पुत्र श्री खुमाणाराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 07, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. गोविन्द शर्मा पुत्र श्री हरपाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 07, गीता भवन रोड़, संगरिया तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. हनुमान शर्मा पुत्र श्री खुमाणाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न. 136, न्यू श्याम बिहार एक्सटेशन कैमरी रोड़, नजदीक तीन फुटा रोड़, हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 285 वर्ष 2024 (GCMS No. 2024/578) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा एवं वकील प्रतिवादी श्री राजवीर भादू व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 9.195 हैक. व खसरा न. 241 में 0.228 हैक. व खसरा न. 243 में 0.398 हैक. व खसरा न. 275 में 2.845 हैक. इस प्रकार कुल 12.666 हैक. बारानी दोयम के रकबा का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

1. वादी (बलवन्त शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :– रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 4.222 हैक. बरानी दोयम (इसी खसरा के उतरी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में) भूमि।

2. प्रतिवादी न. 1 (गोविन्द शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :– रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 4.222 हैक. बारानी दोयम (इसी खसरा के मध्य में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, बलवन्त शर्मा के दक्षिणी दिशा में व हनुमान शर्मा के उतरी पासा में) भूमि।

3. प्रतिवादी न. 2 (हनुमान शर्मा) के खाता विभाजन की भूमि :– रोही लधेर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 117/1764 के खसरा न. 235 में 0.751 हैक. बारानी दोयम (इसी खसरा के दक्षिणी पासा में, पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, गोविन्द शर्मा के दक्षिणी पासा में) व खसरा न. 241 में 0.228 हैक. व खसरा न. 243 में 0.398 हैक. व खसरा न. 275 में 2.845 हैक. कुल 4.222 हैक. बारानी दोयम भूमि।

तहसीलदार सूरतगढ़ को खाता विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद व इसी अनुसार अलग – अलग रकम कायम करने के आदेश दिये जाते है यदि किसी खातेदार के पक्ष में रहन है तो रहन का नोट संबंधित खातेदार के खाता में पूर्ववत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

नोज....x....मुबलिग....x....बाबत....x....खर्चा इस मुकदमे [illegible] बरसरे....x....फरदों की पालना....x....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19/05/2026 को जारी की गई।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)